क्रम-संख्या–69(ङ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020

बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 441/ग्यारह-2–9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(114)-2020

लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प0आ0–116

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना संख्या क0नि0-2–838/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(08)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

"परंतु उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो कि निम्न तालिका के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित किये गये हैं, और जिनको **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, किन्तु जो स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तिथि तक, देय कर के संदाय के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, किन्तु स्तम्भ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अनुसार उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, प्रति वर्ष देय ब्याज की दर, सतंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी:–

तालिका

क्र0सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि	शर्त
1	2	3	4	5
1	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये से अधिक हो	नियत तारीख से प्रथम पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत और तत्पश्चात् 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020 मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपये से अधिक हो और 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपये तक हो।	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।"।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 441/XI-2–9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(114)-2020, dated May 11, 2020.

No. 441/XI-2–9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(114)-2020

Dated Lucknow, May 11, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), *read* with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendment in the notification no. KA.NI.-2–838/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(08)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

AMENDMENT

IN the said notification, in the first paragraph, the following proviso shall be be *inserted*, namely :-

"Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table namely:-

Table

Sl.no.	Class of registered persons	Rate of interest	Tax period	Condition
1	2	3	4	5
1	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020 March, 2020, April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020 March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 66 राजपत्र–2020–(128)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 16 सा० राज्य कर–2020–(129)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

66 Rph rajya kar anu-2-2020 data7